फोन : 99209-13897

भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
रजि. ऑफिस: 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना, पंजाब-141007
www.bvbja.com
रजि. नं. : 20150018562/96/2015

मुख्य कार्यालय: 001 मारिया अपार्टमेन्ट, ग्राऊंड फ्लोर, प्लॉट नं. E-78/3, सेक्टर 9, ऐरोली, नवी मुंबई – 400 708.

संदर्भ क्र. : BVBJA/LTR/1617245/20170726_SAT09

दिनांक : 26.07.2017

सेवा में,

पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
मिनी सेक्रेटेरियेट, फिरोजपुर रोड़,
लुधियाना - 141001

विषय: **लुधियाना पुलिस के सचिन गुप्ता (ACP/North, लुधियाना) व स्वर्ण सिंह A.S.I. (टिब्बा चौकी, P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना) द्वारा भारतीय संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुये झूठी F.I.R. दर्ज करने के मामले में आरोपियों व उनके साथियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करते हुये कार्यवाही किये जाने बाबत|**

महोदय,

हमारा संगठन किसी भी पीड़ित के मामले में पीड़ित का शपथ-पत्र व सबूत देखने के बाद आवश्यक जाँच करते हुये संबंधित विभागों में शिकायत भेजता है और पीड़ित को इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता है| संगठन का उसूल है कि, अगर पीड़ित या संगठन द्वारा दी गई शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन या संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और ना ही मामले का संज्ञान सोशल मीडिया, Whatsapp या मोबाईल द्वारा आगाह करने के बावजूद लेते हैं और किसी भी प्रकार की कार्यवाही (पूछताछ या शिकायत झूठी है या सच्ची की जाँच) नहीं करते तो यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि, यहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा आरोपियों के साथ मिलकर भरपूर भ्रष्टाचार का खेल-खेला जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है जिसके बाद संगठन Whistle बजाने के लिये (जिससे संबंधित अधिकारी के कानों तक आवाज पहुँच सके) पर्चियाँ छाप कर बाँटने व सोशल मीडिया के द्वारा हर व्यक्ति तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता है| कुछ उदाहरण दे रहे हैं जैसे:-

a. ज़ुलेखा जगमग, मुंबई के मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 1/2016 दिनांक 27.02.2016 दर्ज करवाई गई

b. नासिक मर्डर मामले में पर्चियाँ बाँटी व F.I.R. No. 158/2017 दिनांक 18.06.2017 दर्ज करवाई

c. गुजरात से मुंबई ट्रेन से आ रही महिला का पर्स चोरी मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 44/16 दिनांक 04.03.2016 दर्ज करवा कर चोर को पकड़वाया गया

d. कमल बस्सी, लुधियाना मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 0113/2016 दिनांक 02.07.2016 दर्ज करवाई गई

e. नाबालिग लड़की के अपहरण (लुधियाना) के मामले में, मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 107/2014 दिनांक 10.04.2014 दर्ज करवाई व मौहल्ले के नामी बदमाश व ठगबाज को मौहल्ला व लुधियाना छोड़ने पर मजबूर किया|

ऐसे कई मामले संगठन द्वारा अंजाम दिये गये|

संगठन कोशिश करता है कि, 'अपराध पर रोक लगे ना कि अपराधी खत्म हो' इसलिये संगठन मजबूरी में व पहली बार किये गये अपराध के मामले में अपराधी से स्टैम्प पेपर पर माफीनामा लेकर अपराध को रोकने की प्राथमिकता पर ध्यान देता है जैसे उदाहरण के नाम पर यह दो माफीनामा देखिये|

a. मौहल्ले में दहशत फैलाने के लिये की गई गुंडागर्दी व तोड़फोड़ के मामले में लिया गया माफीनामा

b. ससुर की प्रताड़ना से अपंग हुई बहु के मामले में लिखवाया गया माफीनामा व आजीवन देखभाल का राजीनामा

c. घरेलू हिंसा मामले में पति द्वारा लिखवाया गया सुलहनामा

इसी प्रकार से संगठन के पास पीड़ित लकी उर्फ जय हिंद का मामला आया जिसने ACP (शिकायत नं. 1088928 (559-5c) दिनांक 03.05.2017) और पुलिस कमिश्नर, लुधियाना (शिकायत नं. 1104070 दिनांक 22.05.2017) को शिकायत की थी मगर एक से डेढ महीने तक जब कुछ नहीं हुआ तब संगठन के द्वारा की गई कार्यवाही के बाद मुख्य आरोपी चिन्हित हुआ जिसके साथ बातचीत करते समय उसके रिश्वतखोर भाई सुखदेव सिंह (जो खुराक, सिविल सपलाईज और खपतकार मामले विभाग में बटाला, जिला - गुरदासपुर में कर्मचारी है) के द्वारा धमकियाँ दी गईं और मामला खत्म करने के लिये कहा गया|

संगठन द्वारा कहा गया कि, "अगर आपके भाई का यह पहला ही अपराध है तो हम इस मामले को संगठन के प्रारूप के अनुसार माफीनामा बनवा कर पीड़ित के खर्च के साथ मूल रकम जोड़कर पीड़ित को दे देंगे और मामले को खत्म कर देंगे जिसके लिये अपराधी का बैंक स्टेटमैंट हमें दिखाना होगा" जिस बात के लिये आरोपी का भाई राजी तो हुआ मगर धमकी देते हुये उसके द्वारा कहा गया कि, "मैं कमिश्नर के साथ

बैठकर दारू पीता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपको 40,000/- रु. हजार दूँगा और साथ ही बैंक स्टेटमैंट भी दूँगा" इसके बाद दूसरे दिन आरोपी के धमकी देने वाले भाई के द्वारा पिता जोगिन्दर सिंह से 20,000/- रु. दिलवाते हुये कहलवाया गया कि, "बैंक स्टेटमैंट जल्द ही देंगे उसके बाद पक्का राजीनामा बनायेंगे तब तक के लिये जो पैसा दिया है उसकी कच्ची लिखापढ़ी" जो वे पंजाबी में लिखी हुई लेकर आये थे उसपर Whistle Blower मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी उर्फ जय हिंद से यह कहते हुये हस्ताक्षर करवाये कि, "पैसे देने का सबूत रहे, पक्की लिखापढ़ी आपके संगठन के अनुसार की जायेगी"| मगर जब काफी दिन बीतने के बाद भी आरोपी नहीं आये तो यह निश्चित हो गया कि, आरोपियों ने झूठ बोला है और उसने अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार से Paytm द्वारा धोखाधड़ी की होगी जिसे छुपाना ही उनका मुख्य मकसद था जिसके बाद हमारे द्वारा पर्चियाँ बाँटी गईं और सभी संबंधित विभागों में शिकायतें भेजी गईं| आज मौहल्ले के काफी लोगों से पता भी चल रहा है कि, इस धोखेबाज अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की द्वारा कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, उसके Paytm खाते व बैंक खाते की जाँच की गई तो सारे अपराध सामने आ जाएंगे|

रिश्वतखोर भाई सुखदेव सिंह, इस खुलासे से बौखला गया और उसने अपनी भ्रष्टाचारी व्यवस्था व रिश्वत से मिले नोटों का भरपूर इस्तेमाल करके सचिन गुप्ता (ACP/North, लुधियाना) व स्वर्ण सिंह (A.S.I., टिब्बा चौकी, P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना) के साथ अलग-अलग मिलकर अलग-अलग थानों में पीड़ित व Whistle Blower मुकेश ठाकुर के खिलाफ पहला झूठा मामला, डिविजन नं. 1 (कोतवाली) में दर्ज करवाया| इस रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह (जो पंजाब सरकार के अधीन फ़ूड एंड सप्लाई विभाग, बटाला (गुरदासपुर) में बतौर इंस्पेक्टर तैनात है) ने अपनी ताकत का जलवा दिखाने के लिये '[redacted]' (डिपार्टमेंटल स्टोर) लुधियाना में काम करने वाली अपनी छोटी बहन का उपयोग बिल्कुल उस दलाल के समान किया "जिस प्रकार शरीर बेचने वालियों के दलाल करते हैं" उसी प्रकार इस रिश्वतखोर भाई ने अपनी बहन का दलाल बनकर उसके द्वारा झूठी शिकायत दर्ज करवाकर अपनी भ्रष्टाचारी ताकत का जलवा दिखाया और उसके द्वारा झूठी F.I.R. दर्ज करवाई| इस मामले में जब सचिन गुप्ता (ACP/North, लुधियाना) को फोन किये गये तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया व फोन भी नहीं उठाया गया| जब SMS (Bina evidence larki ke jhuthe bayan par bhrashtachar karte hue division no 1 (chaura bazar kotwali) ludhiana ke SHO ne victims ko 3.00pm se thane me baitha kar rakha hai) भेजे गये तब DCP मोब. 78370-18502 का फोन आता है कि, "354 की धारा व मैडिकल रिपोर्ट को देखो" मगर जब यही बात हमारे द्वारा कही गई कि, "प्राथमिक जाँच कीजिये तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे और ना ही बात कहने को तैयार हुये"|

हिंदी में लिखा हुआ कोई पढ़ता नहीं चाहता इसलिये यहाँ सचिन गुप्ता (ACP/North, लुधियाना) के द्वारा की गई कार्यवाही चित्र के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है :

चाईना कंपनी 'अलीबाबा ग्रुप' के भारतीय पार्टनर 'Paytm' के द्वारा जनता के साथ की जा रही लगातार धोखाधड़ी

लुधियाना ACP सचिन गुप्ता के साये में जारी है चाईना कंपनी की धोखाधड़ी

लुधियाना ACP/North सचिन गुप्ता

नोटः Paytm कंपनी के विश्वविख्यात प्रचारक को बचाना मुख्य उद्देश्य है

मेरे क्षेत्र के थाने में रिश्वतखोर भाई की बहन का मामला आया मगर 'पैसों की भूख ने व भ्रष्ट-भ्रष्ट अधिकारी आपस में एक होते हैं' उसी को ध्यान में रखते हुये मैंने सीधे कार्यवाही करने के लिये दबाव डाला और मुख्य शिकायतकर्ता (Whistle Blower व पीड़ित) के ऊपर ही गैर-कानूनी तरीके से कार्यवाही करवा दी

मैंने रिश्वतखोर भाई की बहन द्वारा चिन्हित किये जा रहे हमलावरों (Whistle Blower व पीड़ित) के बयान लेने की कोशिश तक नहीं की और उनके बयान लेने के बाद जो तस्दीक इस मामले में करवानी चाहिये थी वह भी नहीं की जिससे सच्चाई उजागर हो पाती

मैंने रिश्वतखोर भाई की बहन की शिकायत की जाँच मैडिको लीगल रिपोर्ट से नहीं की अगर करता तो रिश्वतखोर भाई के द्वारा खिलाये गये नमक का कर्ज अदा करना मुश्किल हो जाता

रिश्वतखोर भाई की बहन के द्वारा चिन्हित हमलावरों (Whistle Blower व पीड़ित) की मोबाईल लोकेशन लेने व उसकी जब्ती का आदेश देने की जहमत भी नहीं उठाई क्योंकि मुझे रिश्वतखोर भाई के नमक का कर्ज अदा करना था

सचिन गुप्ता
(ACP/North, लुधियाना)

मैंने घटनास्थल पर चश्मदीदों या वहाँ मौजूद तकनीकी सबूतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जबकि SMS व फोन द्वारा पूरी पंजाब पुलिस को प्राथमिक जाँच के लिये आगाह किया जा रहा था

भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
www.bvbja.com

<u>एक ईमानदार व योग्य अधिकारी (जो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले जैसे घोटाले की पैदाइश ना हो) इस प्रकार के किसी भी मामले में सबसे पहले निम्न बिंदुओं पर ध्यान देता हैः-</u>

i. शिकायतकर्ता के बयान व मैडिको लीगल रिपोर्ट में मौजूद तथ्यों के आधार पर उसकी सत्यता की जाँच करना

ii. घटनास्थल पर पहुँच कर चश्मदीदों के बयान और आसपास मौजूद तकनीकी सबूतों को इकट्ठा करना

iii. आरोपियों के बयान लेकर उसकी सत्यता की जाँच करना

iv. अगर आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड ना हो तो ऐसी स्थिती में आरोपियों को जाँच के समय उपस्थित होने की हिदायत देते हुये घर जाने देना

v. आरोपियों की घटना के समय के वक्त की उपस्थिती के तकनीकी सबूत प्राप्त करना|

इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और दबाव डाल कर सचिन गुप्ता (ACP/North, लुधियाना) द्वारा 107/151 का मुकदमा दर्ज किया गया जो यह साबित करता है कि, सचिन गुप्ता (ACP/North, लुधियाना) इस पद के योग्य ही नहीं हैं या पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हरामखोरी (जिसकी परिभाषा है जो नौकर, मालिक (जनता) के दिये पैसों के लिये काम करने की बजाये अपराधियों के लिये काम करे) करने वाला भ्रष्ट अधिकारी है|

इसी प्रकार जब टिब्बा रोड चौकी में पीड़ित द्वारा शिकायत दी गई थी तब किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नही हुई जब देखा गया कि, शिकायत देने पर भी कोई कारवाई नही हो रही है तो संगठन के अपने नियमानुसार whistle बजाने का काम किया गया और पर्चियाँ बाँटते हुये सभी जगह मामला फैलाया गया जिससे अपराधी बिलबिला उठे और धमकियाँ देने लगे जिसके बाद रिश्वतखोर भाई ने उस टिब्बा चौकी के “ASI स्वर्ण सिंह” को "जिसके पास पीड़ित द्वारा सबूतों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित लूटमार की शिकायत पहले से ही की हुई थी"(जो एक माह पहले से ACP और कमीश्नर साहब को की गई थी उस शिकायत पर तो स्वर्ण सिंह जी ने कारवाई करना उचित नही समझा) को पैसे खिला कर तुरन्त Whistle Blower व पीड़ित के ही खिलाफ FIR दर्ज करवा दी| ***<u>ये प्रक्रिया पंजाब पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने के लिये पर्याप्त है तस्वीरों द्वारा भ्रष्ट अधिकारी के भ्रष्टाचार को समझिये:</u>***

यह गैर-कानूनी तरीके से किया गया पूरा तमाशा, पंजाब की लुधियाना पुलिस के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की पोल खोल रहा है|

इस मामले में विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया जाये और पूरी जाँच करते हुये अपराधियों को सजा दी जाये अगर संविधान की धज्जियाँ उड़ानेवाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो आम जनता का न्याय व्यवस्था व पुलिस प्रशासन से विश्वास उठता चला जायेगा|

हमारा संगठन किसी जनरल डायर को इस देश में दुबारा देखना नहीं चाहता क्योंकि अगर ऐसे जनरल डायर देश में मौजूदगी दर्शायेंगे तो निश्चित ही उधम सिंह भी दिखना शुरू हो जायेंगे|

आशा है, तुरंत से तुरंत संगठन द्वारा दिये गये तथ्यों व सबूतों के साथ-साथ संवैधानिक नियमों की व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी|

धन्यवाद!

सोनिका क्रांतिवीर

सोनिका क्रांतिवीर
मोब. 99209-13897
भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान www.bvbja.com

संलग्न दस्तावेज़ :

क्र.	विवरण	पेज नं.
1.	ज़ुलेखा जगमग, मुंबई के मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 1/2016 दिनांक 27.02.2016 को दर्ज करवाई गई|	1(1-2)
2.	नासिक मर्डर मामले में पर्चियाँ बाँटी व F.I.R. दर्ज करवाई|	2(3-4)
3.	गुजरात से मुंबई ट्रेन से आ रही महिला का पर्स चोरी मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 44/16 दिनांक 04.03.2016 दर्ज करवा कर चोर को पकड़वाया गया|	3(5-7)
4.	भू-माफिया कमल बस्सी, लुधियाना के मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 0113/2016 दिनांक 02.07.2016 दर्ज करवाई गई|	4(8-14)
5.	नाबालिक लड़की के अपहरण (लुधियाना) के मामले में, पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 107/2014 दिनांक 10.04.2014 दर्ज करवाई व मौहल्ले के नामी बदमाश व ठगबाज को मौहल्ला व लुधियाना छोड़ने पर मजबूर किया|	5(15-16)
6.	मौहल्ले में दहशत फैलाने के लिये की गई गुंडागर्दी व तोड़फोड़ के मामले में लिया गया माफीनामा	6(17-19)
7.	ससुर की प्रताड़ना से अपंग हुई बहु के मामले में लिखवाया गया माफीनामा व आजीवन देखभाल का राजीनामा	7(20-23)
8.	घरेलू हिंसा मामले में पति द्वारा लिखवाया गया सुलहनामा	8(24-26)
9.	Whistle Blower द्वारा कलम 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत की गई फरियाद व रसीदें : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_09.pdf	9(27-34)
10.	दिनांक 03.07.2017 को पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीड़ितों को हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु दिया गया शिकायत-पत्र व रसीदें : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_10.pdf	10(35-36)

11.	'लुधियाना सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' संगठन की तरफ से लुधियाना पुलिस कमिश्नर और थाना-प्रभारी को पीड़ित के खिलाफ की गई झूठी शिकायत (D.D.R. No. 23 दि. 22.06.2017) में तकनीकी सबूतों की जब्ती के संबंध में भेजी गई शिकायत व रसीदें : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_11.pdf	11(37-40)
12.	पीड़ित द्वारा दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c) (इस शिकायत की कॉपी ASI स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही पीड़ित के ऑफिस से चोरी की गई) की कॉपी: http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_12.pdf	12(41-41)
13.	पीड़ित द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 1104070 की कॉपी : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_13.pdf	13(42-42)
14.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान' द्वारा whistle बजाते हुये (जिससे पीड़ित के मामले को संज्ञान में लिया जाये) Paytm से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में भेजे गये शिकायत–पत्र व रसीद (इस शिकायत की असल रसीदें ASI स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही पीड़ित के ऑफिस से चोरी की गई) : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_14.pdf	14(43-46)
15.	पीड़ित द्वारा 'Paytm' के नोयडा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़ : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_15.pdf	15(47-47)
16.	पीड़ित द्वारा 'बैंक ऑफ बड़ौदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़ : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_16.pdf	16(48-48)
17.	पीड़ित के 'Paytm' खाते से आरोपी द्वारा रकम लूट लिये जाने का मोबाईल पर आये संदेश के 'Snapshot' की कॉपी : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_17.pdf	17(49-50)
18.	दि. 19.06.2017 को सायबर क्राईम को ईमेल से भेजी गई शिकायत की 'Snapshot' : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_18.pdf	18(51-51)
19.	आरोपियों के द्वारा स्टैम्प पेपर पर बनाये जाने वाले माफीनामा से पहले पंजाबी में रकम मिलने की बनाई गई कच्ची लिखा – पढ़ी : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_19.pdf	19(52-52)
20.	दि. 22.06.2017 को आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की बहन [redacted] कौर द्वारा पीड़ित पर झूठा आरोप लगाकर डिविजन नं. 1 (कोतवाली) में दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी व मैडिको लीगल रिपोर्ट : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_20.pdf	20(53-62)
21.	दि. 23.06.2017 को आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की तरफ से बस्ती जोधेवाल में झूठा आरोप लगाकर दर्ज की गई F.I.R. No. 236/2017 की कॉपी: http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_21.pdf	21(63-68)
22.	दि. 19.06.2017 को आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगडैल व आवारा दोस्तों द्वारा अभद्र भाषा में फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का 'Snapshot' : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_22.pdf	22(69-71)
23.	दि. 22.06.2017 को आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगडैल व आवारा दोस्तों द्वारा फेसबुक पर अभद्र भाषा के उपयोग मामले में कमिश्नर को दी गई शिकायत की कॉपी (इस शिकायत की कॉपी ASI स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही पीड़ित के ऑफिस से चोरी की गई) : http://www.bvbja.com/file/pdf/20170726_23.pdf	23(72-72)

<u>प्रतिलिपी :</u>

1. माननीय राष्ट्रपति महोदय
2. माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय
4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
5. भारत का विधी आयोग
6. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
7. लोकपाल, पंजाब
8. पुलिस महानिदेशक (DGP), पंजाब
9. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
10. केन्द्र सर्तकता आयोग (CVC)
11. पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग
12. जिला मैजिस्ट्रेट (DC)
13. निदेशक (फूड, सिविल सर्विसिज और कंज्यूमर अफेयर्स)

चाईना कंपनी 'अलीबाबा ग्रुप' के भारतीय पार्टनर 'Paytm' के द्वारा जनता के साथ की जा रही लगातार धोखाधड़ी

लुधियाना ACP सचिन गुप्ता के साये में

जारी है, चाईना कंपनी की धोखाधड़ी

नोटः Paytm कंपनी के विश्वविख्यात प्रचारक को बचाना मुख्य उद्देश्य है ? या मोदी के सपने 'कैशलैस भारत' पर कुठाराघात ?

- **भ्रष्ट अधिकारियों के सहयोग से रिश्वतखोर अधिकारी सुखदेव सिंह द्वारा अपनी ताकत का जलवा दिखाने के लिए किया गया अपनी बहन का उपयोग|**
- **बहन का इस्तेमाल झूठी FIR दर्ज करवाने के लिए किया गया|**
- **कमिश्नर के साथ दारु पीने वाले भ्रष्ट फूड इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने paytm के द्वारा धोखाधड़ी करके ग्राहकों का पैसा चुराने वाले अपने अपराधी भाई अमृतपाल सिंह को बचाने के लिए अपनी ही बहन का सहारा लेकर पीड़ित व Whistle Blower पर झूठा आरोप लगाया|**
- **रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह पर पैसों का नशा सर चढ़कर बोला जिसके लपेटे में ACP सचिन गुप्ता भी आ गये और प्राथमिक जांच किए बिना झूठी FIR दर्ज करवाई|**

देश में भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला, व भाई-भतीजावाद है की, अगर आप भ्रष्ट है तो दूसरा भ्रष्ट आप को बचाने के लिए यह भी नहीं देखेगा कि आप उसके नजदीकी रिश्तेदार हैं? ऐसे मामलों में बिना रिश्तेदारी के ही भ्रष्ट अधिकारियों की जमातें मिलकर ईमानदार व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले Whistle Blower के खिलाफ एक जुट हो जाते हैं और उसे एकजुट होकर झूठे मामलों में फँसाकर जेल पहुंचाने के कारनामों को अंजाम देते हैं| इन भ्रष्ट अधिकारियों की बुद्धि व अक्ल ज्यादातर मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की औलादों की अक्ल जैसी ही होती है मतलब यह भ्रष्ट अधिकारी अपने-अपने पदों पर अपनी योग्यता से नहीं बल्कि रिश्वत के गलियारों से गुजर कर पहुंचते हैं जिसका एक बेहतरीन उदाहरण इस मामले में साफ-साफ नजर आ रहा है|

यह मामला लुधियाना के पीड़ित व्यक्ति लकी उर्फ जय हिंद का है जिसके Paytm खाते से अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विकी द्वारा गैरकानूनी तरीके से पैसे निकाले गए जिसकी शिकायत ए.सी.पी. को 3/5/17 को दी गई थी मगर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही F.I.R. दर्ज की गई जबकि सुप्रीम कोर्ट के कानून अनुसार तुरंत F.I.R. दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरु कर देनी चाहिए| यहाँ पर सीधा-सीधा सुप्रीम

कोर्ट के कानून का उल्लंघन किया गया जिसके बाद पीड़ित द्वारा संगठन से सहयोग मांगा गया तो संगठन के निर्देशानुसार paytm के नोयडा ऑफिस से हुए ट्रांजेक्शन की डिटेल ली गई, जिसे लेकर जब पीड़ित को पुलिस स्टेशन भेजा गया और पुलिस स्टेशन के अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया तो भी पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिसके बाद सबूत के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत की गई मगर शिकायत किए जाने के एक महीने बाद तक भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा सबूत होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई| आखिर संगठन द्वारा पीड़ित को बैंक भेजा गया जहां से मान-मुनव्वल द्वारा बैंक अधिकारी ने उस अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विकी का नाम व पता बताया जिसने पीड़ित लकी उर्फ जय हिंद के खाते से रुपए चोरी किए थे यह पूरा कारनामा पीड़ित के Paytm खाते से मोबाईल नंबर 98031-41252 पर पहले ट्रांसफर करके किया गया फिर उस मोबाईल नंबर से इस दूसरे मोबाईल नंबर 99888-50660 पर ट्रांसफर किया गया और उसके बाद आपराधी के खुद के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था| यह रकम के ट्रांसफर का तरीका अपराधी की आपराधिक मानसिकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है|

संगठन का मानना है कि, सबूतों के साथ पुलिस विभाग को शिकायत दिए जाने के बावजूद अगर पुलिस विभाग या कोई अधिकारी कार्य नहीं करता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि, वहां पर भ्रष्टाचार का भरपूर खेल चल रहा है और रिश्वतखोरी अपनी पर चरम पर पहुंची हुई है जिसके बाद संगठन संबंधित मामले में पर्चियाँ बनाकर बांटता है व Facebook व WhatsApp के साथ-साथ सोशल मीडिया पर संबंधित विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों व अपराधियों के नाम और उनके कारनामों के साथ फैलाता है|

यहां पर भी जब देखा गया कि पुलिस विभाग के भ्रष्ट अधिकारी सबूत मिलने के बावजूद ना तो F.I.R. दर्ज कर रहे हैं और ना ही कोई कार्यवाही कर रहे हैं, तो इस मामले में पहले अपराधी से मुलाकात की गई क्योंकि संगठन का यह भी उसूल है कि, अगर अपराधी ने पहली बार ही अपराध किया है या बहकावे में आकर या थोड़े से लालच में फँस कर उसने इस प्रकार की गलती की है, तो उसे समझा कर उसकी गलती का माफीनामा स्टैम्प पेपर पर बनवाकर लिया जाता है साथ ही पीड़ित को हुये नुकसान की भरपाई मूल रकम के साथ दिलाई जाती है इसलिए जब संगठन द्वारा देखा गया कि, पुलिस स्टेशन ने डेढ़ महीने बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित के साथ संगठन के सदस्य अपराधी से मिले और उसके द्वारा किए गए 'उसके अपराध की', उसको सबूतों के साथ जानकारी दी मगर अपराधी द्वारा पहले तो टालमटोल की गई फिर धमकियां दी गईं मगर फिर भी संगठन ने धैर्य रखा और उससे कहा कि, यदि यह आपका पहला अपराध है तो हम इस मामले को आवश्यक नुकसान भरपाई के साथ मूल रकम लेकर व माफीनामा बनवाकर खत्म कर देंगे अन्यथा इस मामले को हम पुलिस स्टेशन में उठाएंगे साथ ही सोशल मीडिया पर भी रखेंगे मगर आपको अपनी सच्चाई बताने के लिए पहले अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा| इसी बीच आरोपी का रिश्वतखोर भाई भ्रष्टाचार से कमाई गई दौलत के नशे में चूर होकर वहाँ पहुँचा व पीड़ित को धमकी देने लगा कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठ कर दारु पीता हूं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं 50,000 खर्चा करके उल्टा तुम पर ही F.I.R. दर्ज करवा दूँगा मगर संगठन उसके इस दबाव व धमकी में नहीं आया| जिसे देखकर रिश्वतखोर भाई सुखदेव सिंह बोला कि, ठीक है चलो मामला खत्म करो मैं आपके संगठन के

प्रारूप के अनुसार माफीनामा बना कर दूँगा व बैंक स्टेटमैंट भी दूँगा साथ ही आवश्यक नुकसान भरपाई के साथ 40,000 रु. भी दूँगा इसके बाद दूसरे दिन आरोपी का पिता, सुखदेव सिंह व आरोपी के मामा रंजीत सिंह के साथ आये और 20,000 रु. पीड़ित को दिए साथ ही कहा कि शाम को बैंक स्टेटमेंट देंगे व माफीनामा बनाकर देंगे साथ ही बची हुई रकम भी दे देंगे तब तक के लिये जो पैसे हम दे रहे हैं उसकी कच्ची लिखापढ़ी कर लेते हैं, जिसके लिये संगठन के सदस्य सहमत हो गये और फिर रिश्वतखोर भाई द्वारा पंजाबी में खुद लिखकर पीड़ित व संगठन के सदस्य मुकेश ठाकुर से हस्ताक्षर लिये गये मगर इसके बाद अपराधियों द्वारा ना तो कोई संपर्क किया गया और ना ही उनके द्वारा अपराधी भाई का वह बैंक स्टेटमेंट दिया गया, जिससे यह साबित हो पाता कि अपराधी ने केवल पीड़ित के साथ ही इस प्रकार की धोखाधड़ी की है ना कि अन्य के साथ?

इस कारण संगठन अपराधी से संगठन के प्रारूप के अनुसार माफीनामा नहीं ले पाया जो संगठन द्वारा पहली बार गलती से किए गए अपराध के मामले में अपराधी से बनवा कर लिया जाता है (माफीनामा के उदाहरण साथ में संलग्न है)| आखिर संगठन द्वारा इस मामले में शिकायत पत्र के साथ-साथ अपराधियों की पर्चियाँ बनाकर देश-विदेश व मोहल्ले में Whistle बजाने के तरीके से बाँटी गईं जिससे भ्रष्ट अधिकारी व अपराधी भड़क गए और उन्होंने धमकियां दी कि, "हमारा एक करोड़ रुपए भी खर्च हो जाएगा तो भी चलेगा पर तुम पर झूठे मामले दर्ज करेंगे व लड़की के मामले में भी फँसायेंगे"| जिसका पहला परिणाम 22.06.2017 को मिला, जिसमें जिस प्रकार से दलाल लोग धंधेवालियों से पैसा कमाने के लिए धंधा करवाते हैं ठीक उसी प्रकार यहां पर इस रिश्वतखोर भाई ने दलाल बन कर अपनी बहन का इस्तेमाल किया और झूठी F.I.R. पीड़ित व Whistle Blower पर दर्ज करवाई| इस F.I.R. में साफ नजर आ रहा है कि, ACP सचिन गुप्ता द्वारा भरपूर पैसा खाया गया| इस झूठे मामले में रिश्वतखोर भाई की बहन द्वारा आरोप लगाया गया कि, '21.06.2017 को 11:30 से 12:00 के बीच मुझ पर टिब्बा रोड से कचहरी जाते समय लक्कड़ पुल पर तेज धारदार हथियार से हमला किया और जिसकी वजह से मुझे खून निकला'|

सुप्रीम कोर्ट के कानून के नियमानुसार किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध में तुरंत F.I.R. दर्ज की जाने चाहिए और बयान की तस्दीक के अनुसार व बहुत जरूरी होने पर ही प्राथमिक जांच करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया अगर किया गया होता तो पहली नजर में ही ईमानदार पुलिस अधिकारी द्वारा इस मामले को झूठा करार दे दिया जाता क्योंकि संबंधित मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत और बयान उसी की मैडिको लीगल रिपोर्ट से ही मेल नहीं खा रही है ***<u>कारण देखिये :</u>***

- **शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता को धारदार हथियार से मारा गया और उसे खून निकला**
- **जबकि मैडिको लीगल रिपोर्ट के अनुसार उसको कहीं भी खून नहीं निकला है और ना ही धारदार हथियार से कट मारा गया है**
- **बल्कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि, बाएं कंधे पर पीछे की तरफ लाल निशान है जो किसी खड़ी स्केल/बेंत के लगने से ही हो सकता है**

- **लड़की के बयानानुसार, पीछे से बाईं तरफ से सटकर बाईकसवारों द्वारा हमला किया गया**
- **मगर मैडिको लीगल रिपोर्ट के अनुसार दो तरफ से हमला हुआ एक सामने से और दूसरा पीछे से**
- **पीछे की तरफ से किए गए वार का निशान लड़की के बाए कंधे पर लाल निशान के रूप में नजर आ रहा है**
- **जबकि मैडिको लीगल रिपोर्ट के अनुसार दूसरा वार सामने की तरफ के दायें कान पर किया गया है**
- **जिसके बारे में शिकायतकर्ता द्वारा कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी गई**

अतः पहली नजर में ही शिकायतकर्ता के बयान व मैडिको लीगल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा मामला खारिज ना करना, सीधे-सीधे पुलिस अधिकारी के भ्रष्टाचार को मजबूती प्रदान कर रहा है क्योंकि बिना किसी प्राथमिक जांच के, पीड़ित व संगठन के सदस्य मुकेश ठाकुर के ऊपर F.I.R. दर्ज करना और रात भर हवालात में रखना, सीधे-सीधे पुलिस की अयोग्यता व उनके भ्रष्टाचार को चिंहित करने के लिए पर्याप्त है|

अगर कोई ईमानदार अधिकारी होता तो वह इस मामले को कुछ इस प्रकार से हल करता, वह शिकायतकर्ता के बयान मैडिको लीगल रिपोर्ट की आपस में जांच करता अगर उसे कुछ संदेह होता तो घटनास्थल पर जाता और आसपास मौजूद चश्मदीद गवाहों को ढूंढने और उनसे बातचीत करके घटना की सत्यता जांचने की कोशिश करता|

- **तकनीकी सबूतों को प्राप्त करने के लिए घटना स्थल के आसपास मौजूद CCTV कैमरा को चिन्हित करते हुए घटना के समय के आसपास की वीडियो क्लिप्स जब्त करता और उनकी जांच करता,**
- **घटनास्थल के रास्ते पर मौजूद लगभग 4-5 मोबाइल टॉवरों से घटना के समय के मोबाइल फुट प्रिंट की जब्ती करता जिससे शिकायतकर्ता के मोबाइल के साथ-साथ हमला करनेवालों के मोबाइलों के नं. भी तकनीकी सहयोग का उपयोग करके चिन्हित हो जाते|**
- **शिकायतकर्ता द्वारा हमला करने वाले चिन्हित व्यक्तियों के बयान लेकर उनके घटना के वक्त की मोबाइल लोकेशन लेकर उसे 'सीज़' करता व जब्त करता जिससे चिन्हित व्यक्तियों की मोबाईल लोकेशन से उनके अपराधी होने या ना होने में उन तकनीकी सबूतों का उपयोग करते हुये जांच में सहयोग प्राप्त करता|**
- **शिकायतकर्ता के द्वारा हमला करने वाले चिन्हित व्यक्तियों की हमले के वक्त की उनके बयान के आधार पर मौजूदगी की अगर वीडियो क्लिप कहीं होती तो उससे प्राप्त करता|**

मगर इस झूठे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो सीधे सीधे ए.सी.पी. जैसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वतखोर कहने के लिए पर्याप्त है क्योंकि संबंधित मामले में फोन पर ए.सी.पी. साहब (मोब. 78370-18511) कभी मिले ही नहीं और ना ही उनके द्वारा फोन उठाया गया|

जब इस मामले में संगठन द्वारा 22.06.2017 पंजाब के सभी पुलिस अधिकारियों को SMS

1. Bina evidence larki **ke jhuthe bayan par bhrashtachar karte hue division no 1 (chaura bazar kotwali) ludhiana ke SHO ne victims ko 3.00pm se thane me baitha kar rakha ha**

2. **Bina evidence larki ke jhuthe bayan par bhrashtachar karte hue division no 1 (chaura bazar kotwali) ludhiana ke SHO(mo 7837018601) wa ACP ne victims ko 3.00pm 22-06-2017 se thane me sanvidhan ki** dhajjiyan urate hue baitha kar rakha hai www.bvbja.com

भेजे गये

जिसके बाद अगले दिन डी.सी.पी. साहब, लुधियाना (मोब. 78370-18502) का फोन आया और उन्होंने कहा कि, "यह 354 का मामला बनता है" कह कर सच्चाई से पल्ला झाड़ने का काम करते हुए उन्होंने जरूरी प्राथमिक जाँच व संविधान की किस प्रकार धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पर बात करने की अपेक्षा फोन करनेवालों व SMS करनेवालों को डराने का काम किया|

अगर इस पूरे मामले की विशेष जांच टीम से जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी|

इस मामले में ए.सी.पी. सचिन गुप्ता व ASI स्वर्ण सिंह के निजी मोबाइल व उनके ऑफिशियल मोबाइल की कॉल डिटेल की जाँच (पीड़ितों पर F.I.R. दर्ज करने से 3 दिन पहले व 3 दिन बाद) की जाती है तो उनके अपराधियों के साथ शामिल होने की पुष्टि हो जाएगी|

संगठन संबंधित मामले में सभी संबंधित विभागों को सबूतों के साथ शिकायत-पत्र भेज रहा है और चाहता है कि आरोपियों व जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्यवाही करते हुये पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाया जाये|

आशा है, तुरंत से तुरंत संगठन द्वारा दिये गये तथ्यों व सबूतों के साथ-साथ संवैधानिक नियमों की व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी|

धन्यवाद!

सोनिका क्रांतिवीर

सोनिका क्रांतिवीर
मोब. 99209-13897
भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
www.bvbja.com

फोन : 99209-13897

भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान
www.bvbja.com
रजि. ऑफिस: 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब-141007
रजि. नं. : 20150018562/96/2015

मुख्य कार्यालयः 001 मारिया अपार्टमेन्ट, ग्राऊंड फ्लोर, प्लॉट नं. E-78/3, सेक्टर 9, ऐरोली, नवी मुंबई – 400 708.

संदर्भ क्र. : BVBJA/LTR/1617245/20170726_SAT14 दिनांक : 26.07.2017

सेवा में,

श्रीमती अनंदिता मित्रा, IAS
निदेशक (फूड, सिविल सप्लाईज एण्ड कंज्यूमर अफेयर्स)
Director (Food, Civil Supplies & Consumer Affairs)
फूड, सिविल सप्लाईज एण्ड कंज्यूमर अफेयर्स विभाग
अनाज भवन, सेक्टर 39-C, चंडीगढ - 1600336.
Phone: 0172-2636090

विषय: आपके विभाग के अधिकारी द्वारा अपने अपराधी भाई को सजा से बचाने के मामले में 'पीड़ित व whistle blower' को धमकी देने व पीड़ित की तरफ से शिकायत दिये जाने के बाद उनपर ही झूठी FIR दर्ज करवाने के मामले में उचित व विभागीय करवाही किये जाने व जरुरत पड़ने पर रिश्वतखोर अधिकारी पर FIR दर्ज किये जाने हेतु|

महोदय,

संगठन के पास Paytm के द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित मामला आया था जिसमें आपके 'बटाला, जिला गुरदासपुर विभाग' में फूड इंस्पैक्टर के पद पर कार्यरत सुखदेव सिंह मोब. 9888899908 के भाई अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की जो कि 'Paytm का एजेंट भी है', के द्वारा पीड़ित लक्की उर्फ जयहिंद के Paytm खाते से गैर-कानूनी तरीके से रुपये चोरी किये गये जिसकी शिकायत ACP/EAST व पुलिस कमिश्नर लुधियाना को दी गई थी मगर आपके 'भ्रष्ट व रिश्वतखोर अधिकारी सुखदेव सिंह और उसके अपराधी भाई अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की' की पुलिस से मिलीभगत व भ्रष्टाचार का नतीजा रहा कि, डेढ महीने तक कोई कार्यवाही इस मामले पर नहीं हो सकी| जब संगठन के प्रयासों से आरोपी को चिन्हित किया गया तो आरोपी के भाई जो आपके विभाग में कार्यरत है, के द्वारा धमकियाँ दी गईं व कहा गया कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीता हूँ" (इस मामले में संगठन के द्वारा कई प्रयास किये गये जो विभागों में भेजे गये पत्र के रुप में साथ में संलग्न है)|

संगठन ने इस रिश्वतखोर अधिकारी को समझाने की कोशिश की, कि "अगर आपके भाई का यह पहला अपराध है तो पीड़ित के हुये नफा-नुकसान को दिलवाते हुये संगठन के प्रारुप के अनुसार 'स्टैम्प पेपर पर माफीनामा' बनवाकर मामले को खत्म करवा दिया जायेगा"| देश में अधिकांशतः विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है

जिसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री खुद कहते है कि, "अगर 100 रुपये किसी के लिये भेजे जायें तो उस आदमी तक केवल 10 रु ही पहुँच पाता है"| मगर कोई अधिकारी खुलेआम सबूत होने के बावजूद पीड़ित व whistle blower को अपनी रिश्वतखोरी का बखान करते हुये कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीने की अकड़ दिखाता है और पीड़ित पर ही उल्टा पर्चा दर्ज करने की धमकी देता है तो ऐसे अधिकारी कभी भी किसी भी विभाग में पदस्थ रहने के योग्य नही हैं| ऐसे अधिकारी को सामाजिक तौर पर नंगा करके चौराहे पर घुमाना जरूरी है|

इस रिश्वतखोर अधिकारी के द्वारा अपनी भ्रष्टाचारी व्यवस्था की ताकत का जलवा दिखाने के लिये अपनी खुद की बहन का इस्तेमाल किया गया (सारे सबूत संबंधित विभागों में भेजे गये संलग्न पत्रों में मौजूद है)|

क्या ऐसा अधिकारी एक प्रतिष्ठित विभाग में कार्यरत रहने लायक है?

'सामाजिक न्याय व भ्रष्टाचार मुक्त भारत' के लिये हमें उम्मीद है कि, आपका विभाग इस दिशा की ओर अवश्य प्रयासरत होगा और सबूतों की मौजूदगी में अपराधी को बेनकाब करते हुये उसे सजा भी अवश्य देगा|

आशा है, आवश्यक सबूतों की विवेचना करते हुये रिश्वतखोर अपराधी से उसपर लगाये गये आरोपों की सफाई लेंगे और उसके द्वारा दिये गये सबूतों से अपराधियों के चेहरे बेनकाब किये जायेंगे, तब तक उपलब्ध सबूतों के आधार पर रिश्वतखोर अधिकारी को निलंबित करके भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी का साथ आप अवश्य देंगे|

धन्यवाद!

सोनिका क्रांतिवीर

सोनिका क्रांतिवीर
मोब. 99209-13897
भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
www.bvbja.com

भ्रष्टाचार विरुध्द जागृति अभियान
सुनील तिवारी
Tiwari

प्रतिलिपी :

- संगठन द्वारा संबंधित विभागों में भेजे गये शिकायत-पत्र

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770142319IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:JUSI S K MITTAL,LOKPAL
CHANDIGARH, PIN:160017
From:BHARTACHARA , MUM
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,13:04
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770142455IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:PRADHAN,SOUTH BLOCK
DELHI, PIN:110011
From:BHARTACHARA , MUM
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,13:05
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770142472IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:CVC SA,BHAVAN
DELHI, PIN:110023
From:BHARTACHARA , MUM
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,13:05
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770142441IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:POLICE AN,DCP PUNJAB
CHANDIGARH, PIN:160009
From:BHARTACHARA , MUM
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,13:06

India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM770149643IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MA. JILAADIKAHRI,
Gurdaspur H.O, PIN:143521
From:BHARSHTACHAR VIRUDH , MRI-1
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,01/08/2017 ,14:46
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770142322IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:MAN ALDHARI,NEW COURT
LUDHIAA, PIN:141001
From:BHARTACHARA , MUM
Wt:400grams,
Amt:117.00 ,31/07/2017 ,13:00
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

DC

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770142336IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:MA RA,BHAVAN
NEW DELHI, PIN:110004
From:BHARTACHARA , MUM
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,13:02
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

Prez

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770142340IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:POLICE COMMISSONER,
LUDHIANA, PIN:141001
From:BHARTACHARA , MUM
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,13:03
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

Stock ex. p.o.
RM 770142469 IN.
To, माननीय अध्यक्ष.
पंजाब राज्य .
चंडीगढ़ - 160034.
From भ्रष्टाचार विरुद्ध.
Wt. 300/-
Rs - 92/-

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM770145995IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:BHART KA VIDHI,
New Delhi G.P.O., PIN:110001
From:BSP , MRI-1
Wt:280grams,
Amt:87.00 ,31/07/2017 ,13:20
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM770145862IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MANNIYA NYAYDHISH,
LUDHIANA, PIN:141001
From:BHRASTACHAR VIRUDHA , MUMBAI 400069
Wt:282grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,12:49
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM770145873IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MA.HEAD JAJ HIGHCOUR,
NEW DELHI, PIN:110201
From:BSP , MRI-1
Wt:280grams,
Amt:87.00 ,31/07/2017 ,13:23
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM770145859IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MANNIYA NYAYDHISH,
CHANDIGARH, PIN:160001
From:BHRASTACHAR VIRUDHA , MUMBAI 400069
Wt:282grams,
Amt:92.00 ,31/07/2017 ,12:49
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM770145831IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:SMT ANANDITA MISHRA,
CHANDIGARH, PIN:160033
92
From:BHRASTACHAR VIRUDHA , MUMBAI 400069
Wt:298grams,

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM770145845IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:SHUBHASH BANNA,
LUDHIANA, PIN:141008
From:BHRASTACHAR VIRUDHA , MUMBAI 400069
Wt:310grams,
Amt:97.00 ,31/07/2017 ,12:50

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770802569IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:PRINCIPAL SE TO GO,PUNJAB
CHANDIGARH, PIN:160036
From:BHA V , MUM
Wt:100grams,
Amt:42.00 ,04/08/2017 ,10:12
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770802586IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:DISTRICT FOOD AND,SUPPLIES CON
GURDASPUR, PIN:143521
From:BHA V , MUM
Wt:100grams,
Amt:42.00 ,04/08/2017 ,10:13
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL B RM770802572IN
Counter No:2,OP-Code:KIRTI
To:JALANDHAR DIVISION,DEPUTY DIRECTO
JALANDHAR, PIN:144001
From:BHA V , MUM
Wt:100grams,
Amt:42.00 ,04/08/2017 ,10:13
<<Track on www.indiapost.gov.in>>